

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) भादरा जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी:- शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

क्रमांक :- दुरुस्ती / 2023 / 444

आदेश

दिनांक :- 26/12/23

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का शेरड़ा व भूअभिलेख निरीक्षक भिरानी की रिपोर्ट तथा नायब तहसीलदार/तहसीलदार भादरा की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में चक शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ की वर्तमान जमाबन्दी में खाता संख्या. 520/472 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र. स.	ग्राम/चक	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि ( अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश ( शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1.	शेरड़ा	520/472	गजानन्द पुत्र हनुमान	गजानन्द अग्रवाल पुत्र हनुमान प्रसाद

क्रमांक:- सम / 2023 / 445-46

प्रतिलिपी :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. तहसीलदार ( राजस्व ) भादरा को भेजकर लेख है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश, विवाद एवं बैंक रहन न हो तो आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद/अंकन किया जाना सुनिश्चित करे।
2. प्रार्थी गजानन्द अग्रवाल पुत्र हनुमान प्रसाद को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
भादरा जिला हनुमानगढ